संख्या-125 /2026/ 2491 /26-3-2026-1597530

प्रेषक,

प्रवीण मिश्र
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मद्य निषेध अधिकारी,
जवाहर भवन,
उ0प्र0लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 28 सितम्बर, 2026**

विषयः-नेशनल एक्शन प्लान फार ड्रग डिमाण्ड रिडक्शन (NAPDDR) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वीकृत धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2079 पी0पी0/26-67/2026, दिनांक-08.09.2026 एवं पत्र संख्या-2080पी0पी0/26-67/2026, दिनांक 08.09.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमाण्ड रिडक्शन-3817 (NAPDDAR) योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.07.2026 द्वारा निर्गत की गयी मदर सैंक्शन की धनराशि रू0 3,03,15,500/-(रू0 तीन करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति तथा योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.05.2026 एवं 08.07.2026 द्वारा मदर सैंक्शन के रूप में जारी की गयी कुल धनराशि रू0 4,03,15,500/-(रू0 चार करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जनजागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु व्यय करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.05.2026 द्वारा मदर सैंक्शन के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 1,00,00,000 करोड़ (**रू0** एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-84/2026/1635/26-3-2026-1597530, दिनांक 30.06.2026 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरोक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक 05.05.2026 एवं 08.07.2026 द्वारा मदर सैंक्शन के रूप में जारी की गयी कुल धनराशि रू0 4,03,15,500/- (रू0 चार करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र) को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार जनजागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन हेतु व्यय करने की अनुमति एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 08.07.2026 द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमाण्ड रिडक्शन-3817 (NAPDDAR) योजनान्तर्गत निर्गत की गयी मदर सैंक्शन की धनराशि रू0 3,03,15,500/-**(रू0 तीन करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार पांच सौ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-105-नशाबन्दी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं- 0101-ड्रग की मांग घटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एन0ए0पी0डी0डी0आर0) (के.-100%-रा.के.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2026-27 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं 26.09.2025 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्र्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(5) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। प्रश्नगत स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा।

(8) योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) केन्द्रपुरोनिधानित योजनाओं में केन्द्रांश की धनराशि सीधे योजना के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में खुले खाते में प्राप्त होगी। अतएव इन योजनाओं में प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि वित्त विभाग से कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अत: राज्य मद्य निषेध अधिकारी योजनान्तर्गत भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

10-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों/घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुये एस0एन0ए0 को प्रेषित की जायेगी तथा एस0एन0ए0 द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेन्सी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

11-समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अत: एस0एन0ए0 स्तर पर पुन: परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। एस0एन0ए0 द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसरण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,03,15,500 (रुपये तीन करोड़ तीन लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026 - 27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 080 लेखा शीर्षक 2235021050101 ड्रग की मांग हटाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (के.100/रा.0-के.) मानक मद 20 सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-137-X-2026-27-दिनांक 21-09-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
PRAVEEN MISHRA
Date: [illegible]

(प्रवीण मिश्र)
विशेष सचिव।

<u>पु0सं0- /2026/2491 (1)/26-3-2026 तददिनांक-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0प्रयागराज।
3- प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0शासन।
8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
9- निदेशक, एन0आई0सी0।
10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।